न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 23/2024

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री टीकम भागचंदानी पुत्र श्री गोपाल लाल, मैसर्स गोपाल डेयरी, गंज थाने के पास, गंज, अजमेर।

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री विवेक पाराशर अप्रार्थीगण की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक– 24.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर तत्समय ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2023 को 02:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स गोपाल डेयरी, गंज थाने के पास, गंज, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री टीकम भागचंदानी मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय स्टील की टंकी में लगभग 80 किग्रा दही आम जनता

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त दही की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 01 किलोग्राम, 100/– रूपयें श्री टीकम भागचंदानी को नगद देकर गवाह श्री मुकेश कुमार वैष्णव के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री टीकम भागचन्दानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा दही को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 250 ग्राम) में भरकर, प्रत्येक नमूना बोतल में 20–20 बूंद फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–3845 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/9660 दिनांक 26.07.2023 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/851/एक्ट/2023/885 दिंनांक 21.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा द्वितीय जाँच हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2023 को नमूना जाँच हेतु लिया गया सैम्पल, रैफरल फूड लेबोरटरी, मैसूरू में भेजा गया। रेफरल फूड लेबोरटरी मैसूरू की जाँच रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 में भी अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 21.05.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 21.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। वकील अप्रार्थीगण की ओर से श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा व श्री विवेक पाराशन0 ने वकालतनामा एवं लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

नियत पेशी का वकील अप्रार्थी उपस्थित रहे। उन्होने लिखित प्रत्युत्तर मय न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। लिखित प्रत्युत्तर एवं बहस में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवाद पूर्णतया असत्य है तथा कार्यालय में बैठकर झूठा केस बनाने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही किया जाना बताया है। परिवाद मे वर्णित निरीक्षण की दिनांक न तो कोई अधिकारी दुकान पर उपस्थित हुआ, न ही अप्रार्थी से नमूना जाँच हेतु कोई दही खरीदा गया, न ही उसकी कीमत अदा की गयी। अतः परिवादी द्वारा मौके पर मौका फर्द तैयार करना, पैकेट बनाने, हस्ताक्षर करने, मार्का करने आदि की कार्यवाही भी नहीं हुई। परिवादी ने मौका फर्द में "परात' में 80किग्रा दही लिया जाना अंकित किया है जो कि अकल्पनीय है। वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि बिना सैम्पल लिये ही जाँच रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा परिवादी ने बिना मस्तिष्क का उपयोग कर, पूर्व में प्रिन्टेड फार्म में खानापूर्ति कर परिवाद पेश किया है। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गोपाल बनाम स्टेट ऑफ एमपी 662/1985 निर्णय दिनांक 06.05.1991, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा वल्लभभाई पोपटभाई

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 97/2004 निर्णय दिनांक 06.08.2004, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा के एस कस्तूरीराजन बनाम चैन्नई कॉर्पोरेशन निर्णय दिनांक 04.09.2014, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खाद्य निरीक्षक, बड़ोदा नगर निगम बनाम मदनलाल रामलाल शर्मा व अन्य निर्णय दिनांक 14.12.1982 स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम जोगिन्दर सिंह निर्णय दिनांक 27.03.2006 तथा अन्य विभिन्न न्यायालयों के निर्णय भी दृष्टान्त हेतु प्रस्तुत किये। उन्होने कथन किया कि दही के मामले में दूध जिससे कि दही बनाया गया है कि रिपोर्ट के अभाव में अप्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टतया मामला नहीं बनना पाया जाता है जैसा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने के एस कस्तूरीराज बनाम चैन्नई कॉर्पोरेशन निर्णय दिनांक 04.09.2014 में निर्णित किया है – "Analytics Indicating content in exe as by 0.9% and non fatty solids deficits by 0.6% no evidence indicating that deficiency in non fatty solids was due to humans tempering that. The variation could be sully due to natural case be on control of human eqeavancy in terms of awarded definition of the adultered" उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि परिवादी का परिवाद पोषणीय नहीं होने से प्रथम दृष्टतया ही निरस्त योग्य है।

हमने बहस में वर्णित कथनों पर मनन किया तथा लिखित प्रत्युत्तर व इसमें वर्णित न्यायिक दृष्टांतो, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया। अप्रार्थी का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि परिवादी द्वारा किसी प्रकार सैम्पल नहीं लिया गया या किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी, क्योंकि प्रपत्र Vए, मौका फर्द एवं नमूना खरीद बिल पर अप्रार्थी श्री टीकम भागचन्दानी के हस्ताक्षर है। यदि उनके अनुसार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी तो लिये गये सैम्पल की पुनः जाँच करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री भागचन्द अग्रवाल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. 10,000/– **(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)** शस्ति आरोपित की जाती है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 24.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री टीकम भागचंदानी पुत्र श्री गोपाल लाल, मैसर्स गोपाल डेयरी, गंज थाने के पास, गंज, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर